



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 131 राँची, बुधवार,

19 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

13 फरवरी, 2025

संख्या-5/आरोप-1-93/2014 का.--29032 (HRMS)--श्री विपिन उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 803/03), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोटका के विरुद्ध उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक-677/गो० दिनांक 18.03.2008 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। श्री उराँव के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में निम्नवत आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1 दिनांक 07.02.2007 को जिला स्तरीय विकास संबंधी समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रखण्ड कार्यालय में चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का प्रगति अन्य प्रखण्ड की तुलना में न्यूनतम पायी गयी। पूर्व में भी पोटका प्रखण्ड में योजना की स्थिति अन्य प्रखण्ड की तुलना में खराब ही पायी गयी थी, जिसके कारण पत्रांक-285/गो०, दिनांक 08.02.2007 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी। आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में योजना कार्य में धीमी प्रगति के कतिपय कारण दर्शाते हुए आश्वस्त किया गया था कि सभी विकास योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा, जिसके आलोक में पत्रांक-625/गो०, दिनांक 23.03.2007 द्वारा मार्च 07 तक योजना कार्य में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। इसके बावजूद भी पोटका प्रखण्ड के विकास योजनाओं की स्थिति अन्य प्रखण्ड की तुलना में अत्यंत धीमी रही ।

आरोप सं0-2 दिनांक 10.05.2007 को उपायुक्त, जमशेदपुर द्वारा विकास योजना के निरीक्षण के दौरान कई योजनाओं में विभिन्न त्रुटियाँ पायी गयी तथा निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि आपके द्वारा नरेगा योजना कार्यान्वयन में सम्पूर्ण लापरवाही बरती जा रही है। कार्य ठीकेदारों के माध्यम से कराये जा रहे हैं तथा मजदूरों को भुगतान भी नहीं हो रहा है। इस संबंध में पत्रांक-956/गो0, दिनांक 14.05.2007 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। आपके पत्रांक-457, दिनांक 18.05.2007 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित कर्मचारी को कड़ी एवं अंतिम चेतावनी दी गयी है तथा आश्वस्त किया गया कि योजना का पूर्ण पर्यवेक्षण कर भविष्य में ऐसी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो इसके लिए सचेष्ट रहूँगा, परन्तु आपके द्वारा इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा नरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और खराब हुई।

आरोप सं0-3 दिनांक 08.02.2008 को पोटका प्रखण्ड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ पंजी में इंदिरा आवास योजना के तहत 18.07 लाख रुपये राशि उपलब्ध है, जबकि आपके द्वारा जिला मुख्यालय को प्रेषित जनवरी, 08 का मासिक प्रतिवेदन में उपलब्ध राशि 2.13 लाख दिखायी गयी है। स्पष्टतः आपके द्वारा उच्चाधिकारी को भ्रामक मासिक प्रतिवेदन भेजा रहा है।

आरोप सं0-4 पोटका प्रखण्ड में निरीक्षण के दौरान कुल 34 बैंक खाता संधारित पाया गया। अधिकतर बैंक खातों में कोई लेन देन नहीं की गयी है। स्पष्टतः इन खातों की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में ऐसे बैंक खातों को बंद करने हेतु विभागीय बैठक में कई बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा ऐसे बैंक खाते को बंद करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जो आपके अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

आरोप सं0-5 पोटका प्रखण्ड में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कुल- 428 योजनाओं की स्वीकृति नरेगा मद में दी गयी है, जिसमें कुल 11 योजना भौतिक रूप से पूर्ण तथा 417 योजना लंबित है। उक्त लंबित योजनाओं में से लगभग 203 योजनाओं में अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे इतनी महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में आपके द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है तथा सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम में कम से कम तीन योजना चलाने हेतु निदेश का भी अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड में रोकड़ पंजी राशि के प्रबंधन को देखते हुए यह स्पष्ट हुआ कि आपके द्वारा प्रखण्ड के कार्यों में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है। किसी भी योजना में आपके द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज नहीं की गयी है, जबकि दिनांक 06.01.2005 से आप प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका के पद पर पदस्थापित हैं। उपायुक्त, जमशेदपुर को यह भी सूचना मिली कि आप मुख्यालय में हमेशा अनुपस्थित रहते हैं, जिस कारण कर्मचारियों पर आपका उचित नियंत्रण का भी अभाव है। यह भी देखा गया कि आपको प्रखण्ड के अधिकतर बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी भी नहीं है एवं इसके लिए आपको बार-बार प्रधान सहायक एवं सहायक का सहारा लेना पड़ता है। आपके द्वारा आज तक किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

आरोप सं0-6 आपके द्वारा जमशेदपुर में अपना आवास रखा गया है तथा जमशेदपुर से आना-जाना कर प्रखण्ड का कार्य किया जाता है। स्थानीय प्रशासन के वरीयतम पदाधिकारी होने के नाते पूर्व में विभागीय बैठक के दौरान प्रखण्ड परिसर में ही आवासित होने के लिए आपको कई बार निदेशित किया गया है। चूँकि पोटका प्रखण्ड जमशेदपुर के निकटस्थ प्रखण्ड है एवं मुख्यालय से विभागीय पदाधिकारी के द्वारा जमशेदपुर भ्रमण के दौरान प्रायः उनके द्वारा पोटका प्रखण्ड के भ्रमण की इच्छा जाहिर की जाती है, परन्तु आपके द्वारा प्रखण्ड परिसर में आवासित नहीं रहने के कारण इस संबंध में काफी कठिनाई होती है तथा आपकी खोज करने पर प्रायः आप मुख्यालय में अनुपस्थित पाये जाते हैं। जैसा कि दिनांक 12.03.2008 को पोटका प्रखण्ड के माटकु ग्राम में पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच घटित घटना के क्रम में उपायुक्त, जमशेदपुर को सूचना प्राप्त होने के पश्चात् इस सिलसिले में आपकी खोज की गई, परन्तु आप मुख्यालय में अनुपस्थित पाये गये, जबकि प्रखण्ड स्तरीय वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी के नाते आपका यह दायित्व बनता है कि प्रखण्ड में कोई भी अप्रिय घटना घटने की स्थिति में प्रशासन की ओर से तुरंत घटना स्थल पर उपस्थित होकर स्थिति का जायजा लेते हुए उच्चाधिकारी को सूचित किया जाय, ताकि उत्पन्न स्थिति का तत्काल निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जैसे एक जिम्मेवार पदाधिकारी के रूप में आपका कार्यकलाप घोर असंतोषजनक है। बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी दिये गये निदेशों का अनुपालन आपके द्वारा नहीं की गयी तथा प्रखण्ड के कार्यों में आपके द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4343, दिनांक 03.07.2009 द्वारा श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं स्मारित किया गया। इसके अनुपालन में श्री उराँव के पत्रांक- 861, दिनांक 06.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री उराँव के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

(i) पोटका प्रखंड विधायक निधि योजना में ही जिला में न्यूनतम स्थान पर था।

(ii) उनके द्वारा नरेगा योजनाओं का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन कराया जा रहा है। योजना नयी एवं अनेक प्रकार के इसमें प्रक्रिया रहने के कारण प्रारंभिक स्तर पर कुछ कठिनाई हो रही थी।

(iii) माह जनवरी के तृतीय-चतुर्थ सप्ताह में प्रखंड स्तरीय साप्ताहिक बैठक में पंचायत सेवकों के द्वारा इंदिरा आवास योजना में संभावित व्यय के आश्वासन के आलोक में इस मद में अधिक व्यय राशि प्रतिवेदित की गई थी।

(iv) उपायुक्त महोदय के निरीक्षण की तिथि के दिन ही अव्यवहृत बैंक खाता बंद करने का निदेश संबंधित बैंक को देते हुए इसकी सूचना उपायुक्त महोदय को दे दी गई थी।

(v) आवंटन के अभाव के कारण नरेगा योजना में स्वीकृत सभी योजनायें प्रारंभ नहीं की गई हैं।

(vi) वे सदा प्रखंड मुख्यालय में आवासित रहते हैं।

3. श्री उराँव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10553 दिनांक 28.10.2014 द्वारा उपायुक्त, जमशेदपुर से मंतव्य की मांग की गई है एवं स्मारित किया गया, परन्तु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का मंतव्य अब तक अप्राप्त रहा ।
4. श्री उराँव के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछने का निर्णय लिया गया ।
5. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-4517, दिनांक 04.08.2023 द्वारा श्री उराँव से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है एवं स्मारित किया गया, परन्तु उनका जवाब अप्राप्त रहा। स्पष्ट है कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने में रुचि नहीं जा रही है ।
6. अतः समीक्षोपरांत, श्री विपिन उराँव, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 803/03), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोटका के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विपिन उराँव, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-803/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIPIN ORAON BHR/BAS/3655	श्री विपिन उराँव, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 803/03), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोटका के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
